राजस्थान सरकार
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

खुली – बोली सूचना 07/2026–27

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा Printing of Manuals के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBN NO. : **JAU2627GSOB00127**

नियंत्रक (वित्त)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान सरकार
कृषि विभाग राजस्थान
कार्यालय वित्त नियंत्रक
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

मण्डोर रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर–342304 राजस्थान फोन नं. 0291–2570711 / ई–मेल comptrollerfin@gmail.com

क्रमांकः–F.3 ()Proc/AU/Jodh/2026-27/ 891 Date - 20/11/26

खुली बोली सूचना संख्या 07 / 2026–2027

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं / प्रतिष्ठित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों / फर्मों ई–उपापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोलियां आंमत्रित की जाती है।

क्रम	विवरण	
1.	उपापन की जाने वाली विषय वस्तु का विवरण	Printing of Manuals
2.	अनुमानित लागत (लाखों में)	₹ 9.80 लाख
3.	बोली प्रतिभूति 2 % राशि (रू.)	बोली प्रतिभूति 2 % : ₹ 19,600/- (RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार)
4.	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में in favour of Comptroller, Agriculture University, Jodhpur	₹500 + 18% GST = ₹ 590
5.	बोली डाउनलोड प्रारम्भ व प्रस्तुति की दिनांक व समय	20.11.2026 11.00 AM से
6.	बोली प्रस्तुत करने एवं पंक्ति सं. 3, 4 में अंकित दस्तावेज शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	27.11.2026 03:00 PM
7.	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय	27.11.2026 04:00 PM

आवश्यक शर्तें एवं निर्देशः–

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम **42(2) बोली प्रतिभूति** के अन्तर्गत **"राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों** की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी" उपरोक्तानुसार फर्म अगर **राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में सम्मिलित है तो धरोहर राशि Table 1 क्रम संख्या 3 की 0.5 प्रतिशत होगी और अगर फर्म राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में सम्मिलित नहीं है तो धरोहर राशि Table 1 क्रम संख्या 3 के अनुसार होगी।** यदि बोलीदाता फर्म के द्वारा घरोहर राशि नहीं जमा कराई जाती है तो उक्त बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. विभिन्न बोलियों के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में कार्यालय तथा उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
3. राज्य में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
4. किसी भी बोली को पूर्ण / आंशिक रूप स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
5. बोली में दर्शाये गये आईटम की संख्या घटाई / बढाई जाने के समस्त अधिकार विश्विद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
6. Financial bid evaluation will be made on the Item wise most advantageous bid basis.
7. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
8. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।

वित्त नियंत्रक,
कृषि विष्वविद्यालय, जोधपुर